



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264840
CG-DL-E-21072025-264840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3253]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18, जुलाई, 2025

का.आ. 3326(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 7 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 285(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा मैसर्स जेम्कोकटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को 'श्रेणी क खोज अभिकरण' के अधीन अधिसूचित किया है;

2. और मैसर्स जेम्कोकटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) से अपनी प्रारंभिक प्रत्यायन अवधि पूरी होने पर, पुनः मान्यता प्राप्त कर ली है;

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI द्वारा जारी

मान्यता प्राप्त निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि का उक्त अधिसूचना की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए या प्रदान की गई पुनः मान्यता की समाप्ति या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करती है।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI-भाग (1)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O.3326(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government notified M/s. Gemcokati Exploration Private Limited under 'Category A Exploration Agencies' *vide* notification number G.S.R. 285(E) dated the 7th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th April, 2022 (hereinafter referred to as the said notification);

2. And whereas, upon completion of its initial accreditation period, M/s. Gemcokati Exploration Private Limited has obtained re-accreditation from the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET);

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act and in accordance with the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* Order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby extends the period specified in the said notification for a further period of three years from the date of expiry of the said notification or till expiry of the re-accreditation granted or further order, whichever is earlier.

4. This notification shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI-Part(1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note .— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 285(E), dated the 7th April, 2022.